शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 09 – 16 मार्च 2026 मूल्य पांच रूपये

सवालों के घेरे में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, संकट से उबरना चुनौती

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, दशकों से प्रदेश की उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी विश्वविद्यालय से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अनेक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। आज भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रमुख परीक्षाओं में इस विश्वविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में सफलता हासिल करते हैं, जो इसकी शैक्षणिक परंपरा और क्षमता को दर्शाता है।

2 जून 2025 को विश्वविद्यालय की कमान नए कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने संभाली। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक दृष्टि से अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुका है और इसे 'पाताल लोक' से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद कुलपति ने पहला बड़ा निर्णय लेते हुए परिसर में पांच नए सेंटर खोलने की घोषणा की।

हालांकि इससे जुड़ा एक गंभीर प्रश्न भी सामने आता है। वर्ष 2023 की कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि विश्वविद्यालय के कई विभागों में 30 से 79 प्रतिशत तक बुनियादी उपकरणों की कमी है। जिन विभागों का जिक्र कैग की रिपोर्ट में किया गया है, वे विश्वविद्यालय के लगभग 30 – 35 वर्ष पुराने विभाग हैं।

इसी विषय पर जब कैग की रिपोर्ट के संदर्भ में कैग द्वारा ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुल सचिव से यह प्रश्न किया गया कि यदि विश्वविद्यालय के विभागों में इतनी बड़ी संख्या में बेसिक इंस्ट्रूमेंट की कमी है, तो क्या इससे छात्रें को व्यावहारिक ज्ञान से वंचित नहीं होना पड़ेगा?

इस पर उनका जवाब था कि विश्वविद्यालय के पास उपकरण और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब पुराने और मूलभूत विभागों में आवश्यक तकनीकी सुविधाओं और उपकरणों का अभाव है, तो क्या विश्वविद्यालय को पहले इन विभागों को सशक्त बनाना चाहिए या नए विभाग और सेंटर खोलने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

स्थिति का एक और उदाहरण फोरेंसिक साइंस विभाग है, जिसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह विभाग एक सस्ती राशन की दुकान के साथ संचालित हो रहा है। यह स्थिति न केवल बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करती है, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। कई पुराने विभागों में छात्रों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तक नहीं है और प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

इसी बीच विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर – शिक्षक समुदाय की समस्याएं भी लगातार सामने आती रही हैं। पिछले वर्ष कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के कारण महीने में लगभग 5 से 7 दिन तक हड़ताल की स्थिति बनी रही थी। वर्तमान में भी पदोन्नति, नियुक्तियों और अन्य प्रशासनिक मांगों से जुड़ी समस्याओं के कारण समय – समय पर आंदोलन और विरोध देखने को मिलते रहे हैं।

कुलपति ने 'कैंपस टू कम्युनिटी' मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही। यह भी दावा किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे। हालांकि दूसरी ओर आईआईटी मंडी ने 2025 में बिना किसी प्रचार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के साथ मिलकर एआई आधारित लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया, जिसे मंडी सहित हिमाचल प्रदेश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है। लगभग 90 प्रतिशत सटीकता वाला यह सिस्टम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है और इसे 'कैंपस टू कम्युनिटी' मॉडल का एक सफल उदाहरण भी माना जा रहा है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समय – समय पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले नौ महीनों में छात्रों या छात्र संगठनों के बीच हिंसक घटनाओं में कोई विशेष कमी देखने को नहीं मिली है। हाल ही में विधि विभाग में एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को चाकू मारने की घटना ने भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

सार्वजनिक मंचों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना कि विश्वविद्यालय 'पाताल लोक' में पहुंच चुका है या इसका शैक्षणिक स्तर अत्यंत निम्न हो चुका है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसी टिप्पणियों से न केवल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों का मनोबल प्रभावित होता है, बल्कि उन हजारों पूर्व छात्रों का भी मनोबल प्रभावित होता है जिन्होंने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर देश के विभिन्न क्षेत्रों चाहे वह राजनीति हो, प्रशासनिक सेवाएं हों, न्यायिक सेवाएं हों या शिक्षा का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हर वर्ष प्रशासनिक सेवाओं में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रहे हैं। न्यायिक सेवाओं में भी विश्वविद्यालय के छात्र लगातार आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणामों में भी बड़ी संख्या में सफल अभ्यर्थी इसी विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 'निम्न स्तर' या 'पाताल लोक' में पहुंचा हुआ बताना वास्तव में उचित है?

अब जबकि कुलपति को पदभार संभाले लगभग नौ महीने हो चुके हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पिछले नौ महीनों में विश्वविद्यालय वास्तव में 'पाताल लोक' से बाहर निकल पाया है, या फिर यह केवल अखबारों और घोषणाओं तक ही सीमित रह गया है? प्रदेश की जनता, छात्र और विश्वविद्यालय समुदाय अब इस बात का उत्तर ठोस कार्यों के रूप में देखना चाहते हैं।

MOST URGENT/TIME BOUND
C.A.G. MATTER

No. 1-7/HPU/Fin./Comp./C.A.G. Audit/2022-2023
Himachal Pradesh University
(NAAC Accredited 'A' Grade University)
(Compilation Section)

Dated: Shimla-5 the, 10th April, 2025.

To

Subject:- **हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलि करने हेतु SSCA on "Quality of Higher Education in Himachal Pradesh University.**

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith Para **No(s). 1.7.1.4** an extract from the CAG Report for the financial year 2022-2023 received from the Principal Accountant General, Himachal Pradesh, Gorton Castle, Shimla-3.

You are, therefore, requested to look into the matter personally and furnish the point-wise reply with the latest position, in conformity with the audit observations in **annotated form** with facts and figures & documentary proof **within weeks positively to this office**, so that the same could be submitted to A.G., H.P. accordingly. You are also requested to prepare for the forthcoming SSCA meeting. The schedule will be conveyed separately.

This may be treated as most urgent.

Yours faithfully,

Deputy Controller (Finance & Accounts),
H.P. University, Shimla-171005.

1.7.1.4 Availability of basic equipment in science laboratory

Chapter XXV Para 25.10(e) ordinance Vol-II of HPU provides that the duty of BoS is to prepare lists of minimum apparatus and equipment required for science laboratories.

Audit checked records of three selected Departments[31] having laboratoriesand it was revealed that against 922 basic equipment required for the functioning of the laboratories, only 293 equipment were available in these laboratories, as of August 2023. The percentage of shortage ranged between 36 *per cent*(Physical Lab No. 312 of Department of Chemistry) and 79*per cent*(M.Sc. Botany).Thus. Chemistry and Botany,being experimental science subjects, makes practical work essential to the course. A key aim is to develop the skills of a proficient practical scientist. A shortage of basic laboratory equipment can negatively affect the quality of education, as many students would be deprived of hands-on experience and practical understanding of the subject.

In the reply, the HPU stated (October & November 2023) that required equipment could not be purchased due to shortage of funds.

27 Compilation based on the deliberation of the Working Group for Higher Education in the 12th Five Year Plan (2012-17) (November 2011)
28 Dept of Biosciences, Chemistry, Economics, Physics, History, Political Science, Institute of Vocational Studies, Institute of Legal Studies, University College of Business Studies, HPU Business Schools, Population Research Center, Regional Center Dharamshala, ICEDOL, Central Science Workshop, Women Study Center, Administration and Examination.
29 Dept of Physics, University College of Business Studies, ICEDOL, Central Science Workshop and Women Study Center
30 Dept of Economics, History, Political Science, Library and Information Science, Institute of Vocational Studies, HPU Business schools, ICEDOL, Women Study Center, Administration and Examination
31 Bioscience, Chemistry & Microbiology

14 | Page

भारतीय शिक्षा परंपरा ज्ञान, मूल्यों और समग्र विकास पर आधारित:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि भारत की शिक्षा परंपरा ज्ञान, मूल्यों और चरित्र

निर्माण के समन्वय पर आधारित रही है और इसका उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करना रहा है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के 9वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी करें।

दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न संकायों के कुल 511 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि 32 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए। इनमें 23 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी का सकारात्मक संकेत बताया।

उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह जीवन के एक महत्त्वपूर्ण चरण की पूर्णता और नई जिम्मेदारियों की शुरुआत का प्रतीक होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अर्जित ज्ञान को समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उपयोग करने का आहवान किया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, बहुविषयक और कौशल आधारित बनाना है। उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और कौशल आधारित पाठयक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली

शिमला/शैल। कविन्द्र गुप्ता ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश

के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह के दौरान मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़कर सुनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सहित कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वे संविधान के अनुसार कार्य करते हुए राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और राज्य के समग्र विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे।

डॉ. अभिषेक जैन ने मनाली में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया

शिमला/शैल। सचिव जल शक्ति, वित्त, नियोजन, अर्थ एवं सांख्यिकी डॉ. अभिषेक जैन ने सोमवार को मनाली क्षेत्र में पूर्व वर्षों में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल शक्ति विभाग द्वारा मनाली के आलू ग्राउंड के समीप किए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अवलोकन किया। इसके साथ ही कलाथ वृद्धाश्रम के पास निर्मित 400 मीटर लंबी बाढ़ सुरक्षा दीवार का भी निरीक्षण किया, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इसके बाद सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त 2100 मीटर क्षेत्र में लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर है, जिसे 15 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रशासन द्वारा 11 स्थानों पर ड्रेजिंग के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभाग को आवंटित 24 करोड़ रुपये में से लगभग 15 करोड़ रुपये के कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

डॉ. अभिषेक जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बाढ़ सुरक्षा कार्य जून माह तक पूरा कर लिए जाएं, ताकि आगामी बरसात से पहले संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं और इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में एसडीएम मनाली रमन शर्मा, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद ठाकुर सहित लोक निर्माण विभाग, नगर परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरू

शिमला/शैल। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्मिकों के लिए शिमला में दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित की जा रही है।

कार्यशाला का शुभारम्भ आर्थिक सलाहकार डॉ. विनोद राणा ने किया। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी साक्ष्य-आधारित शासन और प्रभावी विकास योजना के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन ही श्रम बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतकों के निर्माण का आधार है। उन्होंने क्षेत्रीय कार्मिकों को डेटा संकलन के दौरान सावधानी बरतने तथा कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध और प्रभावी डेटा संकलन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य नमूने में लगभग 180 ग्रामीण और 120 शहरी ब्लॉकों से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, जबकि केंद्र नमूने में भी लगभग इतने ही ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा।

डॉ. राणा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना और जिला स्तर पर श्रम बाजार के प्रमुख सूचकांकों जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) तथा बेरोजगारी दर (यूआर) के विश्वसनीय अनुमान तैयार करना है। यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और राज्य के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा संकलित नमूनों को संयोजित कर तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषकों को सहयोग दें और सही जानकारी उपलब्ध करवाएं, ताकि विश्वसनीय श्रम बाजार आंकड़े तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के आधार पर रोजगार सृजन और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी, जो रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े तैयार करने के लिए देश का प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण श्रम बल भागीदारी, रोजगार की संरचना और बेरोजगारी की स्थिति से जुड़े आवधिक अनुमान उपलब्ध कराता है।

कार्यशाला में क्षेत्रीय अन्वेषकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संचालित किए गए।

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष तलाशी

शिमला/शैल। प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत पुलिस ने स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष तलाशी अभियान चलाया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह कारवाई मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा 15 नवंबर 2025 को शुरू किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन के अंतर्गत की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान प्रदेश भर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित 1,949 दुकानों और वेंडरों की जांच की गई। इस दौरान जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीमों ने कोटपा अधिनियम के तहत पांच मामले तथा आबकारी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया।

इसके अतिरिक्त कोटपा अधिनियम के तहत 567 चालान और नॉन-बायोडीग्रेडेबल वेस्ट (कंट्रोल) एक्ट के तहत चार चालान किए गए। पुलिस ने कोटपा अधिनियम के तहत कुल 65,300 रुपये का जुर्माना भी वसूला और तलाशी के दौरान सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी जैसी प्रतिबंधित सामग्री जब्त की।

पुलिस के अनुसार अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशे और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाना तथा युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखना है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे से संबंधित किसी भी सूचना के लिए 112 या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

ठेकेदारों के लंबित भुगतान के लिए सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये: नरेश चौहान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेकेदारों के लंबित भुगतानों की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि 1 मार्च तक की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए 250 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

नरेश चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उन्हें आलोचना करने के बजाय सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राज्य के हितों से जुड़े मुद्दों के प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह पूछेगी कि जब हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की जा रही थी, तब विपक्ष क्या कर रहा था।

नरेश चौहान ने कहा कि आपदा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, लेकिन यह राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, जबकि हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों ने आरडीजी बंद किए जाने और वित्तीय सहायता के मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह एक गंभीर प्रश्न है।

उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने के बावजूद राज्य सरकार वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

डीडीयू अस्पताल से निशुल्क एंबुलेंस सेवा शुरू

शिमला/शैल। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा ने दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू)

अस्पताल से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दान की गई निशुल्क एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि इस एंबुलेंस सेवा से शहर के मरीजों, विशेषकर बुजुर्गों को अस्पताल आने-जाने में सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने अस्पताल तथा शहर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती और अन्य समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत कराया। इस पर विधायक हरीश जनारथा ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

इस अवसर पर विभिन्न ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

मंडी में 152 करोड़ के ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास

न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तरह सेवाभाव से काम करना चाहिए:जस्टिस सूर्यकांत

शिमला/शैल। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मंडी में 152 करोड़ रुपये

की लागत से बनने वाले ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। प्रस्तावित परिसर लगभग 9.6 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा और इसमें चार ब्लॉक बनाए जाने हैं, जिनमें न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक परिसरों को अस्पतालों की तरह सेवाभाव से कार्य करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार लोग अस्पतालों की तरह न्यायालयों में भी राहत और न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, इसलिए न्यायिक व्यवस्था को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक न्याय और अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 6000 अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना' शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटारे का प्रयास किया गया है।

कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का उद्देश्य लोगों तक न्याय और कानूनी जागरूकता की पहुंच बढ़ाना है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल अनूप रतन, जिला प्रशासन के अधिकारी, मंडी जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षा के दौरान स्टाफ नर्सों को मिलेगा पूरा वेतन: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्टाफ नर्सों

को अब 40 प्रतिशत के स्थान पर पूरा वेतन दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा आईजीएमसी शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने मेडिकल एजुकेशन विभाग में 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है और मेडिकल कॉलेजों में हाई-एंड एमआरआई तथा रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत तकनीकें स्थापित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स भर्ती प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है, हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को देखते हुए नियमित स्टाफ नर्सों के साथ सहायक स्टाफ नर्सों के पद भी सृजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नर्सिंग स्कॉलर सोसाइटी को पांच लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. 9कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

दो माह में सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश

में सीबीएसई पाठयक्रम आधारित बनाए जा रहे 140 स्कूलों में अगले दो महीनों के भीतर सभी आवश्यक अध्यापक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने यह जानकारी सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के 29वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में दी, जहां उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही लेक्चरर और असिस्टेंट लेक्चरर के 400-400 पद भरे जाएंगे। उन्होंने साइंस कॉलेज हमीरपुर के लिए 20 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की।

उन्होंने बताया कि नादौन महाविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ एमसीए और एमबीए पाठयक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही कॉलेज में 17.22 करोड़ रुपये की लागत से बहुद्देश्यीय हॉल का शिलान्यास किया गया।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 300 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर अस्पताल और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक स्थापित करने तथा 100 करोड़ रुपये की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के निर्माण का भी उल्लेख किया।

इस अवसर पर विधायक विवेक शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी टूटीकंडी से प्री-पेड टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डा

(आईएसबीटी) टूटीकंडी से प्री-पेड टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। सरकार के अनुसार इस सेवा का उद्देश्य यात्रियों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है।

इस व्यवस्था के तहत यात्री आईएसबीटी स्थित प्री-पेड काउंटर से टैक्सी बुक कर सकेंगे। काउंटर पर भुगतान के बाद यात्री को पर्ची दी जाएगी, जिसे टैक्सी चालक को दिखाना होगा। यात्रा पूरी होने के बाद चालक वही पर्ची काउंटर पर जमा कर भुगतान प्राप्त करेगा।

सरकार के अनुसार किराया पहले से निर्धारित होने के कारण यात्रियों और चालकों के बीच किराए को लेकर विवाद की संभावना कम होगी। यह सेवा शिमला शहर के 26 स्थानों के अलावा चंडीगढ़ शहर और चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक उपलब्ध रहेगी। सेवा के संचालन में लगभग 115 टैक्सियां शामिल होंगी, जिनका संचालन टैक्सी यूनियन द्वारा किया जाएगा।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एचपीएमसी की 220वीं बोर्ड बैठक में बागवानी क्षेत्र से जुड़े कई निर्णय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के निदेशक मंडल की 220वीं बैठक राजस्व,

बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निगम की कार्यप्रणाली, वित्तीय स्थिति और बागवानी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में निदेशक मंडल को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम का वार्षिक कारोबार लगभग 111 करोड़ रुपये रहा, जबकि 6.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

रणनीतिक योजना और परियोजना विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित करने को मंजूरी दी। यह समिति निगम की खाली पड़ी भूमि और कम उपयोग हो रही संपत्तियों के बेहतर उपयोग, विपणन योजना तैयार करने तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सुझाव देगी।

बैठक में बागवानी विभाग की उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए चौपाल क्षेत्र में ग्रेडिंग-पैकिंग लाइन और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे क्षेत्र के सेब उत्पादकों को भंडारण और उत्पाद प्रबंधन में सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई।

निदेशक मंडल ने निगम में कार्यबल की कमी को देखते हुए बागवानी विभाग से प्रतिनियुक्ति (सेकंडमेंट) आधार पर स्टाफ तैनात करने की अनुमति भी प्रदान की।

मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही छोटे और जरूरतमंद किसानों को सीमित मात्रा में एचएमओ स्प्रे ऑयल उपलब्ध कराने का सुझाव भी रखा गया, जिस पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद प्रति पात्र लाभार्थी पांच एचएमओ ड्रम उपलब्ध कराने को स्वीकृति दी गई।

बैठक में बागवानी मंत्री एवं एचपीएमसी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में बागवानी क्षेत्र की प्रगति के लिए विपणन नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और किसान-केंद्रित पहल को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

बैठक में एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, सचिव बागवानी सी. पालरासू, प्रबंध निदेशक विनय सिंह, निदेशक बागवानी सतीश शर्मा, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन तथा अन्य अधिकारी और निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

अनुसूचित जाति युवाओं के लिए नि:शुल्क कौशल विकास पाठयक्रम

शिमला/शैल। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण विभाग (इसोमसा) ने बताया कि 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)' के तहत नाइलिट शिमला के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए नि:शुल्क कौशल विकास पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

प्रवक्ता के अनुसार, इस पहल के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स, ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट जैसे तीन माह अवधि के पाठयक्रम संचालित किए जाएंगे। एआई पाठयक्रम के लिए किसी भी विषय में स्नातक तथा अन्य पाठयक्रमों के लिए 12वीं उत्तीर्ण युवा पात्र होंगे।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान पात्र प्रशिक्षुओं को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रति माह 2000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी नाइलिट की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या संबंधित जिला कल्याण अधिकारी अथवा निकटतम नाइलिट केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कमज़ोर लोग कभी माफ़ नहीं कर सकते।
माफ़ी मज़बूत लोगों का गुण है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

पंचायतों के नाम पर हजारों करोड़ जमीनी हकीकत अब भी अधूरी

ग्रामीण भारत के विकास में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि देने की सिफारिश की है। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपये और 2021 से 2026 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा। यह एक बहुत बड़ी राशि है, जिसका उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देना है।

आयोग ने यह भी तय किया कि राज्यों के बीच यह पैसा कैसे बांटा जाएगा। इसके लिए जनसंख्या को 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत महत्व दिया गया है। यानी जिस राज्य की आबादी ज्यादा है, उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। यह तरीका काफी हद तक संतुलित माना जा सकता है, क्योंकि इससे जरूरत के हिसाब से संसाधनों का बंटवारा होता है।

राज्यों के अंदर पंचायतों के बीच पैसा बांटने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। ग्राम पंचायतों को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया है, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़ी होती हैं। उन्हें 70 से 85 प्रतिशत तक राशि मिल सकती है। ब्लॉक पंचायतों को 10 से 25 प्रतिशत और जिला पंचायतों को 5 से 15 प्रतिशत तक हिस्सा दिया जाता है। जिन राज्यों में केवल दो स्तर की पंचायत व्यवस्था है, वहां ग्राम और जिला पंचायतों के बीच ही यह पैसा बांटा जाता है।

हालांकि, यहां एक बड़ी समस्या यह है कि यह पूरा सिस्टम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर निर्भर करता है। कई राज्यों में एसएफसी समय पर बनता ही नहीं या उसकी सिफारिशें लागू नहीं की जातीं। ऐसे में पैसे का सही और न्यायसंगत बंटवारा नहीं हो पाता। यही कारण है कि कई बार अच्छा प्लान होने के बावजूद उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता।

केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हो। पंचायतों को अपनी योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करनी होती हैं। उन्हें डिजिटल माध्यम से लेन-देन करना होता है और समय पर अपने खातों का ऑडिट भी कराना होता है। पंचायती राज मंत्रालय ने इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हैं, जिससे निगरानी आसान हो गई है।

इन नियमों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार को रोकना है। अगर कोई पंचायत इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उसे पूरा पैसा नहीं मिलता। यह एक अच्छी पहल है, लेकिन जमीन पर इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं है। कई पंचायतों में तकनीकी जानकारी की कमी होती है, जिससे वे इन प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं अपना पातीं।

एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि केंद्र से पैसा मिलने के बाद राज्य सरकारों को 10 कार्य दिवसों के भीतर इसे पंचायतों तक पहुंचाना होता है। अगर इसमें देरी होती है, तो राज्य को ब्याज के साथ पैसा देना पड़ता है। यह नियम समय पर विकास कार्य शुरू करने के लिए जरूरी है, लेकिन कई बार राज्यों में देरी देखने को मिलती है, जिससे योजनाएं प्रभावित होती हैं।

आंकड़ों के अनुसार, देश की अधिकांश पंचायतों ने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में योजनाएं ई-ग्रामस्वराज पर अपलोड की जा रही हैं और भुगतान भी डिजिटल तरीके से हो रहा है। यह एक सकारात्मक बदलाव है, जो भविष्य में बेहतर प्रशासन का संकेत देता है।

हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस योजना के तहत बड़ी राशि आवंटित और जारी की गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है और क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। केवल पैसा देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग होना ज्यादा जरूरी है।

अंत में कहा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इससे गांवों में विकास की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें और पंचायतें इसे कितनी गंभीरता से लागू करती हैं। अगर पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की गई, तो यह योजना ग्रामीण भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यह भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी।

आस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द के बीच संतुलन बिठाना है तो संविधान के प्रति अटूट श्रद्धा जरूरी

गौतम चौधरी

भारत विविधताओं का देश है-यहां धर्म, भाषा, जाति और संस तियों की असंख्य धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। इस बहुलता को बनाए रखना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की मूल भावना है। दिलचस्प बात यह है कि यही विचार इस्लाम की मूल शिक्षाओं में भी गहराई से निहित है। जब हम इस्लामी सिद्धांतों और भारतीय संवैधानिक मूल्यों को साथ पढ़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि साम्प्रदायिक सौहार्द केवल नागरिक कर्तव्य नहह, बल्कि मुसलमानों के लिए एक धार्मिक जिम्मेदारी भी है।

भारतीय गणराज्य की शुरुआत 'हम, भारत के लोग' जैसे शब्दों से होती है। यह वाक्य केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहह, बल्कि एक नैतिक घोषणा है कि भारत की पहचान किसी एक धर्म, भाषा या समुदाय से नही, बल्कि सभी नागरिकों की साझी भागीदारी से बनती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। यह सिद्धांत इस विचार को खारिज करता है कि जन्म, धर्म या पहचान के आधार पर किसी व्यद्रि की गरिमा कम या अधिक हो सकती है।

यह अवधारणा कुरआन के उस मूल संदेश से मेल खाती है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर ने 'आदम की संतान को सम्मानित किया'। इस्लाम में मानव गरिमा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। साम्प्रदायिक हिंसा केवल सामाजिक शांति को ही नही, बल्कि मानव जीवन की मूल गरिमा को भी नष्ट करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

इसी भावना को कुरआन की एक अत्यंत प्रसिद्ध आयत और भी स्पष्ट करती है-

'जिसने किसी एक निर्दोष की हत्या की, उसने मानो पूरी मानवता की हत्या की।'

यह संदेश बताता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हिंसा करना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि पूरी मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए साम्प्रदायिक हिंसा न केवल संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि इस्लामी नैतिकता के भी प्रतिकूल है।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 के माध्यम से धालमक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने का अधिकार है।

इस्लाम भी विविधता को प्राकृतिक और ईश्वरीय व्यवस्था का हिस्सा मानता है। पवित्र कुरआन कहता है कि मानव समाज को विभिन्न जातियों और समुदायों में इसलिए बनाया गया ताकि वे 'एक-दूसरे को पहचानें'। इस आयत का संदेश स्पष्ट है-भिन्नता संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि संवाद और समझ का अवसर है। भारत की बहुलतावादी संस्कृति भी इसी सिद्धांत पर आधारित है।

साम्प्रदायिक तनाव अक्सर तब पैदा होता है जब लोग अपने समुदाय के प्रति अंध निष्ठा को न्याय से ऊपर रख देते हैं। इस्लाम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। कुरआन आदेश देता है कि न्याय पर दृढ़ रहो, चाहे वह अपने ही परिवार या समुदाय के विरुद्ध क्यों न हो। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के 'विधि के शासन' के विचार से मेल खाता है, जहां न्याय किसी व्यक्ति की पहचान नहीं देखता। न्याय का आधार केवल सत्य और निष्पक्षता है।

इस्लामी इतिहास में सहअस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मदीना नगर-राज्य की स्थापना के समय देखने को मिलता है। वहां विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक सामाजिक अनुबंध बनाया गया जिसे 'मदीना का संविधान' कहा जाता है। इस दस्तावेज़ ने मुसलमानों, यहूदियों और अन्य क़बीलों को समान सुरक्षा और अधिकारों के साथ एक राजनीतिक समुदाय के रूप में मान्यता दी। धार्मिक स्वतंत्रता और पारस्परिक जिम्मेदारी इस व्यवस्था के मूल तत्व थे। यह मॉडल हमें याद दिलाता है कि बहुधार्मिक समाज में न्याय और सहअस्तित्व इस्लामी परंपरा का भी हिस्सा रहा है।

साम्प्रदायिक सौहार्द केवल कानूनों से नहीं बनता वह रोज़मर्रा के व्यवहार से मजबूत होता है। इस्लाम पड़ोसियों के प्रति विशेष दया और सम्मान की शिक्षा देता है। पैग़म्बर मुहम्मद ने कहा कि सच्चा ईमान वाला वह नहीं जिससे उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'बंधुता' यानी भाईचारे को राष्ट्रीय जीवन का मूल मूल्य मानती है। यह भावना समाज में पारस्परिक विश्वास और सम्मान को बढ़ाती है।

घृणास्पद भाषण और धार्मिक अपमान साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं। कुरआन इस विषय पर स्पष्ट निर्देश देता है कि दूसरे समुदायों के पूजनीय प्रतीकों का अपमान न किया जाए। यह सिद्धांत केवल धार्मिक सहिष्णुता का नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ लगाए गए युक्तिसंगत प्रतिबंध भी इसी संतुलन को बनाए रखने का प्रयास हैं।

भारत जैसे बहुलतावादी समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द केवल एक समुदाय का दायित्व नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। फिर भी मुसलमानों के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस्लाम अपने अनुयायियों को न्याय, दया और शांति का संरक्षक बनने की शिक्षा देता है। भारतीय संविधान एक ऐसा कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो विविधता की रक्षा करता है। इस्लाम उस ढांचे को नैतिक दिशा देता है। जब दोनों के मूल्यों को साथ समझा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साम्प्रदायिक सौहार्द केवल एक सामाजिक आदर्श नहीं, बल्कि आस्था और नागरिकता-दोनों का साझा आहवान है।

हिमाचल में हरित ऊर्जा को नई गति

2,534 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन और 1004 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व

हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश लंबे समय से देश के प्रमुख जलविद्युत उत्पादक राज्यों में गिना जाता है। यहां की नदियां, पर्वतीय भू-आकृति और प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। बदलते समय के साथ राज्य अब पारंपरिक जलविद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था विकसित की जा सके।

प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय स्रोतों का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों तक इसके लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं लागू की गई हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की प्रमुख नवीकरणीय परियोजनाओं से लगभग 2,534 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है और इससे 1,004 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने अगले दो वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में ऊना और बिलासपुर जिलों में पेखुबेला, भंजाल, अघलौर और बैरा डोल जैसी सौर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता लगभग 52 मेगावाट है और इनसे अब तक 114.27 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। साथ ही लगभग 34.83 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पहल ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

हालांकि सौर ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, लेकिन जलविद्युत परियोजनाएं अभी भी प्रदेश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी हुई हैं। कुल्लू जिले की 100 मेगावाट क्षमता वाली सैंज जलविद्युत परियोजना, किन्नौर जिले की 65 मेगावाट काशंग चरण-एक परियोजना और शिमला जिले की 111 मेगावाट सावड़ा-कुदू परियोजना राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से संयुक्त रूप से लगभग 2,419.97 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है और करीब 969.95 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 13 जलविद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य की कुल उत्पादन क्षमता में 1,229 मेगावाट की वृद्धि हुई है।

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में भी हिमाचल आगे बढ़ रहा है। नालागढ़ में एक मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र विकसित किया जा रहा है, जो भविष्य में स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार नेरी में देश का पहला राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बायोचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है।

निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सौर परियोजनाओं के आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया है। प्रथम आओ-प्रथम पाओ के आधार पर 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं निवेशकों को दी जा रही हैं। अब तक 547 निवेशकों को 595.97 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड-माउंटेड सौर परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हिमऊर्जा के माध्यम से 728.4 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई हैं, जिनमें से 150.13 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है।

दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लाहौल-स्पीति जिले के काजा क्षेत्र के ऊंचाई वाले गांवों में 148 घरों में सौर ऑफ-ग्रिड प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को पहली बार नियमित बिजली सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार पांगी घाटी के हिलोर और धरवास गांवों में 400 किलोवाट क्षमता के बैटरी ऊर्जा भंडारण तंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि दुर्गम क्षेत्रों में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन पंचायत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और कुल 150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 24 पंचायतों में परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 16 पंचायतों में काम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों में अनाथ बच्चों और विधवाओं के आर्थिक सहयोग के लिए उपयोग किया जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र में नीति स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं। जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों और परिवारों के लिए 25.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ ही लघु जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर मुफ्त बिजली की रॉयल्टी दर को 18 और 30 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता भी मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना के रॉयल्टी विवाद में हिमाचल प्रदेश के पक्ष में निर्णय दिया है। इस फैसले के अनुसार राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की जाएगी, जिससे हिमाचल को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।

वर्तमान में प्रदेश की वार्षिक बिजली खपत लगभग 13,000 मिलियन यूनिट आंकी गई है और औद्योगिक विकास तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के कारण आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और बढ़ सकती है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है।

जलविद्युत, सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों के संयोजन से हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत और टिकाऊ मॉडल के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल

सामाजिक सरोकार: प्रारंभिक से उच्च शिक्षा तक दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रावधान

समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना किसी भी संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होती है। विशेषकर दिव्यांगजन, जिन्हें जीवन में सामान्य लोगों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी सोच को साकार करते हुए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जो उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए एक सशक्त सहारा बन रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत वे सभी दिव्यांग छात्र-छात्राएं पात्र हैं जो सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत हैं और जिनकी दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस योजना के लिए किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।

योजना के तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को 625 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 750 रुपये प्रतिमाह और नौवीं तथा दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 950 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हों, तो उन्हें 1,875 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार जमा एक और जमा दो के साथ-साथ पोस्ट मैट्रिक कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को 1,250 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 2,500 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है।

जमा दो के बाद डिप्लोमा कोर्स, स्नातक, जेबीटी अथवा आईटीआई कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को 1,875 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास में रह रहे हों तो उन्हें 3,750 रुपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त एलएलबी, बीएड, एमए, एमएससी, एमएड जैसे उच्च शिक्षा के कोर्स कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों को 2,250 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 3,750 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जाती है। वहीं बीई, बीटेक और एमबीबीएस जैसे व्यावसायिक कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए 3,750 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है, जबकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र या छात्रा को निर्धारित प्रार्थना पत्र अपने शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक से सत्यापित करवाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही प्रवेश तिथि का उल्लेख भी किया जाना अनिवार्य है। आवेदन के साथ चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का उल्लेख हो, संलग्न करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति भी जमा करनी होती है।

इस योजना से लाभान्वित हो रहे परिवारों का कहना है कि इससे उनके बच्चों की शिक्षा को नई दिशा मिली है। गांव योह तहसील सरकाघाट के निवासी मनोज कुमार बताते हैं कि उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी रितिका दसवीं कक्षा में पढ़ती है और वह 60 प्रतिशत दिव्यांग है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिल रही है, जिससे पढ़ाई जारी रखने में काफी सहायता मिल रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।

इसी तरह गांव खरोह तहसील सरकाघाट की रहने वाली ममता बन्याल बताती हैं कि उनकी बेटी रिवांशु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पपलोग में बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत है और वह 80 प्रतिशत श्रवण बाधित है। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उसे नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है।

गांव खरोह की ही रजनी कुमारी बताती हैं कि उनकी बेटी कनिका शर्मा 70 प्रतिशत श्रवण बाधित है। जब उन्हें प्रदेश सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। अब उनकी बेटी को नियमित छात्रवृत्ति मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना दिव्यांग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार की यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का यह प्रयास एक समावेशी और संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

निश्चित रूप से, इस प्रकार की योजनाएं दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में नई उम्मीद और प्रेरणा का संचार करती हैं। आने वाले समय में ऐसे प्रयास राज्य को अधिक शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान देंगे।

घटती कृषि भूमि और बढ़ती कालोनियां

भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट

–डा. पंकज भारद्वाज–

देश में विकास और शहरीकरण की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। शहरों के साथ-साथ कस्बों और गांवों तक आबादी का विस्तार हो रहा है। नई-नई कालोनियों का निर्माण आज हर क्षेत्र में सामान्य दृश्य बन चुका है। पहली दृष्टि में यह विकास का संकेत प्रतीत होता है, किंतु इसके पीछे एक गंभीर समस्या भी उभर रही है कृषि भूमि और हरियाली का लगातार घटता दायरा।

आज अनेक स्थानों पर उपजाऊ षि भूमि को आबादी क्षेत्र घोषितकर कालोनियां विकसित करने की होड़ लगी हुई है। भूमि के बढ़ते दामों ने कई लोगों को खेती से अधिक लाभ भूमि के व्यापार में दिखाई देने लगा है। परिणामस्वरूप खेत-खलिहान सिकुड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह प्लॉटिंग तथा मकानों का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है।

इस स्थिति का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि इन कालोनियों में से बड़ी संख्या अवैध रूप से विकसित हो रही है। कई स्थानों पर न तो इनका मानचित्र स्वीकृत होता है और न ही बुनियादी सुविधाओं की कोई सुविचारित योजना होती है। ऐसी अव्यवस्थित कालोनियां भविष्य में सड़क, जल निकासी, पेयजल और स्वच्छता जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं, जिसका बोझ अंततः प्रशासन और समाज दोनों को उठाना पड़ता है।

यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र का लगातार संकुचन होगा। इसका सीधा प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यदि खेती की भूमि कम होती जाएगी तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बन सकती है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना तब कठिन हो जाएगा। इसके साथ-साथ पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा भी बढ़ेगा। खेतों और हरियाली के स्थान पर कंक्रीट के विस्तार से तापमान में वृद्धि, भूजल स्तर में गिरावट और प्राकृतिक संतुलन में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

इस गंभीर विषय पर सरकार और समाज दोनों को संवेदनशीलता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। अवैध कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण, भूमि उपयोग के नियमों का कठोर पालन और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन आज समय की मांग है। साथ ही ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिनसे किसानों को खेती में ही स्थिर और सम्मानजनक आय प्राप्त हो, ताकि वे अपनी भूमि बेचने के लिए विवश न हों। समाज को भी यह समझना होगा कि कृषि भूमि केवल आर्थिक संसाधन नहीं है, बल्कि वह देश की अन्न सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला है। यदि आज हम इसके संरक्षण के प्रति सजग नहीं होंगे तो भविष्य में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। विकास आवश्यक है, किंतु विकास का मार्ग ऐसा होना चाहिए जिसमें कृषि भूमि, पर्यावरण और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन बना रहे। यही दूरदर्शी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकती है।

प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और अगले वित्त वर्ष से आधुनिक तकनीक के माध्यम से पानी शुद्ध करने पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने 14.92 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली तुरकाल-पंगा पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से बुधान, चमयाड़ी, धुंगले, लठियाणी और तनोह पंचायतों के लगभग 10 हजार निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने सामर्थ्य ज्ञानदीप पुस्तकालय और सामर्थ्य व्यायामशाला का भी शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बंगाणा में डीएसपी कार्यालय और सब-जज कोर्ट खोलने की घोषणा की। उन्होंने रैनसरी और लठियाणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोलने तथा क्षेत्र के महिला मंडलों को 25-25 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन उनमें से कुछ भवन अब खाली पड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश की संपदा और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कई कदम उठाए। उनके अनुसार आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए पहले मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की सहायता को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार के लिए कदम उठा रही है। उनके अनुसार आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा तकनीक के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिले में पेयजल परियोजनाओं पर लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भी पेयजल सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक विवेक शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में विधायक राकेश कालिया, सुदर्शन बबलू, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष देसराज गौतम सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में 28.44 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। सरकार के अनुसार इससे जनरल सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी और गायनेकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उन्नत सर्जिकल उपचार उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चमियाना, टांडा और नेरचौक के चिकित्सा महाविद्यालयों के बाद अब आईजीएमसी शिमला में भी यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में छोटा चीरा लगने से मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना रहती है।

उन्होंने कहा कि अगले एक माह के भीतर हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में भी रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही दूरदराज क्षेत्रों के अस्पतालों में भी भविष्य में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के लिए विशेष वार्ड में 50,000 रुपये और सामान्य वार्ड में 30,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक हरीश जनारथा, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मिल्क फेड और एनडीडीबी के बीच तीन समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डेयरी क्षेत्र के विकास से जुड़े तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रदेश सरकार की ओर से सचिव पशुपालन रितेश चौहान और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रसंघ (मिल्क फेड) के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा तथा एनडीडीबी की ओर से इसके अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

समझौतों के तहत कांगड़ा मिल्क यूनियन का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सिरमौर के नाहन और सोलन के नालागढ़ में प्रतिदिन 20 हजार लीटर क्षमता के दो दूध प्रसंस्करण संयंत्र तथा हमीरपुर के जलाड़ी और ऊना के झलेड़ा में 20 हजार लीटर क्षमता के दो दुग्ध अभिशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मिल्क फेड में उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा।

कांगड़ा जिले के ढगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता भविष्य में तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। नई मिल्क यूनियन में कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 47 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि 'हिम' ब्रांड के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं और ढगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के शुरू होने से प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर मिल्क फेड के अध्यक्ष बुद्धिसिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

हिमाचल के शहर एआई सक्षम स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहे:गोकुल बुटेल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्र तेजी से एआई सक्षम स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं और तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

वह चंडीगढ़ में आयोजित 'अर्बन इनोवेशन समिट' में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया।

अपने संबोधन में बुटेल ने कहा कि वर्तमान समय में नवाचार केवल विकल्प नहीं, बल्कि शहरों और नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शहरी केंद्र संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ तकनीकी नवाचार को भी अपनाते हुए स्मार्ट सिटी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न डिजिटल पहल की गई हैं। उनके अनुसार 'हिम सेवा पोर्टल' के माध्यम से 550 से अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग भी किया जा रहा है।

बुटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेट डेटा होस्टिंग पॉलिसी अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य डेटा के सुव्यवस्थित उपयोग के माध्यम से बेहतर नीति निर्माण और सेवा वितरण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने हिम डेटा पोर्टल और एआई आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने का प्रयास किया गया है।उन्होंने कहा कि डिजिटल सुधारों, विशेषकर परिवार रजिस्टर प्रणाली के माध्यम से पंचायती राज और शहरी विकास विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये तक की बचत होने का अनुमान है।

बुटेल ने 'हिम परिवार' और 'माई डीड' जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार 'माई डीड' के माध्यम से राज्य में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जिससे नागरिकों को सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और शहरी विकास से जुड़े हितधारक भी उपस्थित रहे।

प्रदेश में विशेष नाका अभियान के तहत 20 हजार से अधिक वाहनों की जांच

शिमला/शैल। प्रदेश पुलिस ने 'चिट्टा-मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत 9 मार्च 2026 को राज्यभर में 24 घंटे का विशेष इंटर-स्टेट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट नाका अभियान चलाया। पुलिस विभाग के अनुसार इस दौरान प्रदेश के 176 चिन्हित स्थानों पर नाकाबंदी की गई।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस, एसटीएफ और बटालियन की संयुक्त कार्रवाई के तहत कुल 20,230 वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच मामले दर्ज किए गए और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कारवाई के दौरान 1.221 किलोग्राम चरस और सात ग्राम चिट्टा बरामद करने की जानकारी दी है।

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 866 चालान और सीओटीपीए अधिनियम के तहत 12 चालान किए गए। संदिग्ध पाए गए 21 व्यक्तियों के रक्त और मूत्र के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं।

पुलिस के अनुसार यह अभियान खुफिया सूचनाओं और अंतर-जिला समन्वय के आधार पर संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य नशा तस्करी पर अंकुश लगाना और युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयासों को मजबूत करना है। पुलिस ने आमजन से नशे से संबंधित किसी भी सूचना के लिए 112 या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करने की अपील की है।

घरेलू गैस कालाबाजारी रोकने को विशेष टीमें गठित

शिमला/शैल। प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और इसके वितरण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। यह जानकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने दी।

उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार जल्द ही पूर्व लागत के अनुरूप 20 प्रतिशत व्यावसायिक गैस सिलेंडर जारी करेगी। साथ ही मिटी तेल का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, ताकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े।

मुख्य सचिव ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के सर्वर पर गैस बुकिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल एक बार ही गैस बुकिंग करें, ताकि सर्वर पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी परिवारों को मिट्टी तेल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में दो या तीन डीलर नियुक्त किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें स्वत: संज्ञान लेने के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

उन्होंने जनता से अपील की कि कालाबाजारी या जमाखोरी से संबंधित शिकायतों के लिए विभागीय टोल-फ्री नंबर 1967 और 1100 पर संपर्क किया जा सकता है।

हिमाचल में 26 केंद्रीय विद्यालय, 6 नये खोलने की योजना

पीएमजीएसवाई के तहत अब तक 26,505 किमी सड़क स्वीकृत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं। यह जानकारी सांसद राजीव भारद्वाज द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कुल 26 केन्द्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें जिला कांगड़ा में छः और जिला चंबा में चार केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में देशभर में 56 नए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश में छः नये केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना भी शामिल है। प्रस्तावित विद्यालय कांगड़ा के रीढ़ि, ऊना के गोकुल नगर (अपर भगाल) और नंदपुर, मंडी के घुनाग तथा सिरमौर और शिमला जिलों में खोले जाने प्रस्तावित हैं।

सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं और विशेष रूप से रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को समान पाठयक्रम और बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में परिवार सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े होने के कारण इन विद्यालयों का महत्व और बढ़ जाता है।

इसके अलावा सांसद ने ग्रामीण सड़क संपर्क को लेकर भी प्रश्न उठाया था। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरुआत से अब तक चार चरणों में हिमाचल प्रदेश में कुल 26,505 किलोमीटर सड़क लंबाई और 147 पुल स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में अब तक 3,558 किलोमीटर सड़क निर्माण और 17 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं नूरपुर ब्लॉक में 272 किलोमीटर सड़क लंबाई तथा दो पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दूरदराज के गांवों को सर्व मौसमीय सड़कों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रें के लोगों को बेहतर संपर्क और सुविधाएं मिल रही हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हिमाचल में 86,093 मरीजों का उपचार

शिमला/शैल। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल 86,093 रोगियों का उपचार किया गया। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने राज्यसभा में सांसद इंदु बाला गोस्वामी के प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत मंडी जिला में सर्वाधिक 19,233 रोगियों का उपचार किया गया, जबकि लाहौल-स्पीति में सबसे कम 504 रोगियों को उपचार सुविधा मिली।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में उपचार पाने वाले मरीजों की संख्या इस प्रकार है। बिलासपुर 5,430, चंबा 3,744, हमीरपुर 6,978, कांगड़ा 14,573, किन्नौर 778, कुल्लू 7,737, लाहौल-स्पीति 504, मंडी 19,233, शिमला 6,849, सिरमौर 7,167, सोलन 6,931 और ऊना 6,169।

उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत 28 फरवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश में 45,768 आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया है।

परवाणू शिमला फोरलेन परियोजना के कई खंडों में कार्य प्रगति पर

शिमला/शैल। परवाणू शिमला चार लेन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी प्रगति, लागत और देरी के कारणों की विस्तृत जानकारी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद सुरेश कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि परियोजना के विभिन्न खंडों में कार्य जारी है, जबकि कुछ हिस्सों का निर्माण पूरा हो चुका है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार परवाणु सोलन खंड (एनएच-22, नया एनएच-05) के किमी 67.000 से 106.139 तक चार लेन निर्माण के लिए 1683.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। इस खंड में 100 प्रतिशत वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सोलन कैथलीघाट खंड (किमी 106.139 से 129.050) के चार लेन निर्माण के लिए 1519.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इस परियोजना में अब तक 91.05 प्रतिशत वास्तविक और 86.03 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है। इस खंड के लिए 24 नवम्बर 2025 को प्राविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पीसीसी) जारी किया गया है।

इसके अलावा कैथलीघाट से शकराल/ढली क्षेत्र तक शिमला बाईपास पैकेज के अंतर्गत लगभग 2742.91 करोड़ रुपये की परियोजना पर कार्य जारी है। इस खंड में अब तक 53 प्रतिशत वास्तविक और 51.5 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है। इसी तरह शकराल ढली खंड (लगभग 10.985 किमी) के निर्माण के लिए 3005.24 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम चल रहा है, जिसमें 51.54 प्रतिशत वास्तविक और 54.04 प्रतिशत वित्तीय प्रगति दर्ज की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परियोजना के कुछ हिस्सों में कार्य में देरी के पीछे 2023 और 2025 में हुई अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन की घटनाएं तथा कुछ स्थानों पर डंपिंग साइट की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं प्रमुख कारण रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने परवाणू सोलन कैथलीघाट मार्ग के बीच 85 संवेदनशील स्थलों की पहचान की है। इनमें से 65 स्थानों पर स्थायी ढलान सुरक्षा कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि शेष स्थानों पर कार्य जारी है। ढलान स्थिरीकरण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और अन्य संरचनात्मक उपायों के माध्यम से मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन और यातायात बाधा की समस्या को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और यातायात व्यवस्था को लाभ मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

शिलाई में 300 पेड़ों का अवैध कटान

सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोपः बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में 300 से अधिक चीड़ के पेड़ों के अवैध कटान को गंभीर मामला बताते हुए प्रदेश सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिन-दहाड़े आरा मशीन लगाकर पेड़ों की कटाई होना और प्रशासन की ओर से तत्काल कारवाई न होना, पूरे मामले में सत्ता संरक्षण की ओर इशारा करता है।

डॉ. बिंदल ने बताया कि इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बावजूद उस दिन कोई कारवाई नहीं हुई। बाद में कुछ लोगों ने स्वयं पेड़ काटने की बात स्वीकार करते हुए सीमित अनुमति का हवाला दिया, जबकि अगले दिन दर्ज एफआईआर में करीब 307 पेड़ों के कटान की बात सामने आयी। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक पेड़ों की अंतिम गणना क्यों पूरी नही हो पायी है।

उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर यह कटान हुआ, वहां एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाना और वन विभाग के दफ्तर महज 500 मीटर के दायरे में हैं, इसके बावजूद प्रशासन अनजान बना रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के उजागर होने के बाद केवल छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की गयी है, जबकि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

डॉ. बिंदल ने कहा कि यदि सरकार के पास ठोस सबूत हैं तो वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई करे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कड़ी कारवाई नहीं हुई तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन करेगी।

इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता के सही उपयोग न करने का आरोप भी लगाया और कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की स्थिति चिंताजनक है।

केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत हिमाचल को सैकड़ों करोड़ की सहायता

शिमला/शैल। राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने यह जानकारी सांसद हर्ष महाजन के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि समग्र शिक्षा, स्टार्स (STARS), पीएम श्री स्कूल, उल्लास और पीएम पोषण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार को वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर राशि स्वीकृत की जाती है, जिसे परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मंजूरी दी जाती है।

सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2022-23 में 738.08 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 551.60 करोड़ रुपये जारी हुए और 487.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2023-24 में 686.85 करोड़ रुपये स्वीकृत, 485.96 करोड़ रुपये जारी और 468.44 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वहीं वर्ष 2024-25 में 764.95 करोड़ रुपये स्वीकृत, 526.20 करोड़ रुपये जारी और 466.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इसी प्रकार स्टार्स परियोजना के तहत वर्ष 2022-23 में 330.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 175.12 करोड़ रुपये जारी और 36.93 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष 2023-24 में 224.12 करोड़ रुपये स्वीकृत, 53.66 करोड़ रुपये जारी और 111.25 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वर्ष 2024-25 में 272.41 करोड़ रुपये स्वीकृत, 175.80 करोड़ रुपये जारी और 185.63 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

पीएम श्री स्कूल योजना के तहत वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 135.35 करोड़ रुपये स्वीकृत और जारी किए गए, जिनमें से 74.01 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

इसके अलावा उल्लास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 1.87 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वर्ष 2023-24 में 1.87 करोड़ रुपये स्वीकृत, 0.47 करोड़ रुपये जारी और 0.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वर्ष 2024-25 में 1.59 करोड़ रुपये स्वीकृत, 0.79 करोड़ रुपये जारी और 0.53 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

मिड-डे मील से जुड़ी पीएम पोषण योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 107.27 करोड़ रुपये स्वीकृत, 138.02 करोड़ रुपये जारी और 108.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2023-24 में 108.74 करोड़ रुपये स्वीकृत, 94.35 करोड़ रुपये जारी और 104.71 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2024-25 में 101.04 करोड़ रुपये स्वीकृत, 95.69 करोड़ रुपये जारी और 101.86 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करती है और योजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है। निधियों के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से भी निगरानी की जाती है।

सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पठानकोट मंडी फोरलेन का निर्माण तेज करने की मांग

शिमला/शैल। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने पर पठानकोट और मंडी के बीच मौजूदा 219 किलोमीटर की दूरी घटकर लगभग 171 किलोमीटर रह जाएगी। यह मार्ग चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ेगा, जिससे सेना को लेह तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा।

गोस्वामी ने कहा कि इस परियोजना से कांगड़ा, चंबा, पालमपुर, डलहौजी और मंडी सहित अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उनके अनुसार, वर्तमान में इस मार्ग पर औसतन लगभग छः लाख पर्यटक यात्रा करते हैं, जो फोरलेन बनने के बाद बढ़कर लगभग दस लाख तक पहुंच सकते हैं।

सांसद ने बताया कि राजोल से ठांणपूरी तथा परौर से पधर के बीच लगभग 80 किलोमीटर हिस्से के लिए अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं हुई है, जिससे निर्माण कार्य में देरी की आशंका है। उन्होंने इन खंडों की डीपीआर जल्द तैयार करने का अनुरोध किया।

इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जानकारी दी कि राजोल-ठांणपूरी खंड की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि परौर-चौतरा और चौतरा पधर खंड के लिए नया कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है और इन हिस्सों की डीपीआर भी शीघ्र तैयार कर ली जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

तीन साल की बजट घोषणाएं जमीन पर उतारने में नाकाम रही सरकार:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल में बजट में की गई कई अहम घोषणाओं को जमीन पर उतारने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चौथा बजट पेश करने से पहले पिछली तीनों बजट घोषणाओं का हिसाब प्रदेश की जनता को देना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले बजट में कई बड़े वायदे किए थे, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी इनमें से अधिकांश योजनाएं कागजों से बाहर नहीं निकल पायी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनावी रैलियों की तरह ही विधानसभा में भी घोषणाएं कर रही है, जबकि बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले बजट में 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इस योजना का कोई उल्लेख तक नहीं किया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश में छः ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी अभी तक अमल में नहीं लायी गयी। इसके उलट सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर छः रुपये प्रति यूनिट का एनवायरमेंट सैस लगा दिया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने और चंबा, नाहन तथा हमीरपुर में पेट स्कैन सुविधा शुरू करने की घोषणाएं भी अब तक फाइलों में ही दबी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, बागवानों, खिलाड़ियों, महिलाओं और जनजातीय क्षेत्रों के लिए की गई कई छोटी-छोटी घोषणाएं भी लागू नहीं हो पायी हैं। युवाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएं भी कागजों तक सीमित रह गई हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने तीन वर्षों में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सरकार ने इस अवधि में 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज भी लिया है।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े बजट और भारी कर्ज के बावजूद यदि बजट में घोषित योजनाएं तीन साल बाद भी शुरू नहीं हो पायी हैं, तो यह सरकार की नीति, नीयत और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जब बजट में योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया था तो उनकी शुरुआत क्यों नहीं हुई और उनके लिए आवंटित धन आखिर कहां खर्च हुआ।

इस बीच जयराम ठाकुर ने राज्य सतर्कता विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के फैसले पर भी कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही कमजोर होगी। साथ ही प्रदेश में एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले को भी उन्होंने जनविरोधी बताते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती जिलों के लोगों और पर्यटन कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

विजिलेंस को आरटीआई से बाहर करना तानाशाही फैसला:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी और नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे से बाहर करने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण फैसला करार देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

रणधीर शर्मा ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित कानून है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर कर इस कानून की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि जब यह कानून पारित हुआ था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और आज उसी पार्टी की हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पारदर्शिता को सीमित करने वाले फैसले ले रही है।

भाजपा नेता ने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस एजेंसी को आरटीआई के दायरे से बाहर करना यह संकेत देता है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी सार्वजनिक होने से रोकना चाहती है।

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई से बाहर कर उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहती है, जिससे सरकारी मशीनरी का मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार देश के नागरिकों को मिला एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। ऐसे में किसी भी एजेंसी को इसके दायरे से बाहर करना जनता के अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का कड़ा विरोध करती है और राज्य सरकार से मांग करती है कि वह तुरंत इस फैसले को वापस ले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि होती है और किसी भी सरकार को जनता से जानकारी छिपाने का अधिकार नहीं है।

नौतोड़ मामले पर सियासी जंग तेज जगत सिंह नेगी पर भाजपा का तीखा हमला

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े नौतोड़ मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। भाजपा प्रवक्ता सूरत नेगी ने जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नौतोड़ जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान करने में मंत्री पूरी तरह विफल रहे हैं और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को निशाना बना रहे हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ दिये गये बयान न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनजातीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई छिपाने के लिए मंत्री लगातार भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।

सुरत नेगी ने कहा कि नौतोड़ का मुद्दा पिछले 20-25 वर्षों से चर्चा में है। वर्ष 2006 में कांग्रेस सरकार के दौरान ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि नौतोड़ की जमीन केवल भूमिहीन लोगों को ही दी जाएगी। 1975 के अधिनियम में 'लैंडलेस' की स्पष्ट परिभाषा दी गई थी और उसी आधार पर यह शर्त लागू की गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार ने फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट को आंशिक रूप से निलंबित करने की बात कही, लेकिन 'लैंडलेस' की शर्त को नहीं हटाया गया, जिसके कारण वास्तव में किसी को भी नौतोड़ का लाभ नहीं मिल सका। भाजपा के अनुसार यह जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ धोखा था।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2017 में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद इस पूरे मामले का अध्ययन किया गया और शर्तों को हटाने का रास्ता तलाशा गया, लेकिन उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण तत्काल निर्णय संभव नहीं हो सका।

उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार जरूर प्राप्त हैं, लेकिन किसी केंद्रीय कानून को निलंबित करना उतना सरल नहीं है जितना मंत्री जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने ट्राइबल सब-प्लान के बजट में भारी कटौती की है। पार्टी के अनुसार भाजपा सरकार के समय तीनों जनजातीय विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर लगभग 150 करोड़ रुपये कर दिया है।

साथ ही भाजपा ने वन अधिकार अधिनियम के तहत जनजातीय लोगों को भूमि अधिकार देने की प्रक्रिया भी धीमी होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बड़ी संख्या में मामले अभी भी लंबित हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री नेगी को बयानबाजी के बजाये केंद्र सरकार और राज्यपाल से संवाद स्थापित कर नौतोड़, वन अधिकार और जनजातीय विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों और विकास के मुद्दों को आगे भी मजबूती से उठाती रहेगी।